# न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 247/2013

शीर्षक

विशेष नारायण पुत्र लादू (फौत) जाति ब्राहमण निवासी भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
1/1 उर्मिला देवी पत्नी नारायण
1/2 विष्णु पुत्र नारायण
1/3 अंकित पुत्र नारायण
1/4 किशन पुत्र नारायण
1/5 प्रदीप पुत्र नारायण
1/6 महेश पुत्र नारायण
1/7 पवन पुत्र नारायण
1/8 मीना पुत्री नारायण
1/9 कविता पुत्री नारायण
1/10 शारदा पुत्री नारायण
समस्त जाति ब्राहमण निवासी भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. भगवान सहाय
2. दामोदर प्रसाद
3. हनुमान सहाय

} पि0 बीजाराम जाति ब्राहमण निवासी भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

4. राजेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी–नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
5. जगदीश पुत्र हरदान उर्फ हरसहाय प्रोफेसर जे. एच. व्यास 27 राजेश्वर एस.बी.आई कॉलोनी सहकार नगर आकोला महाराष्ट्र।
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
6. नारायण पुत्र हरदान उर्फ हरसहाय प्रोफेसर एन.एच व्यास प्रोफेसर कॉलोनी देवी छाया रणपीसी नगर आकोला महाराष्ट्र।
7. श्रीमति सरबती पत्नी रामस्वरूप जाति स्वामी निवासी स्वामीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक, उप तहसील अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

## दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 25/8/22

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संक्षेप में निम्न प्रकार है हाल आराजी खसरा नम्बर 661, 666, 667, 668, 681, 682, 683 कुल किता 07 रकबा 1.27 है0 वाकै ग्राम भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

2. उक्त आराजीयात में वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी संख्या 4 हिस्सा 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 व जयकुरी पत्नी हरदान उर्फ हरसहाय 1/8 भाग के खातेदार काश्तकार है। यह है कि जमाबंदी में दर्ज खातेदार जयकुरी फौत हो चुकी है उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ही है।

3. यह है कि उपरोक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कभी कोई बंटवारा नही हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण सम्मिलित में कब्जा चला आ रहा है। वादी की प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की भूमि पर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

4. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 आपस में मिले हुये है जिन्होने वादी के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है जबरन वादी को बेदखल करना चाहते है व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 में उपरोक्त भूमि के अपने 7/24 भाग को बिना किसी अधिकार के व बिना बंटवारा कराये प्रतिवादी संख्या 7 जोकि एक अजनबी है, को दिनांक 11.02.2004 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दी जो कि बिलकुल गलत है क्योंकि उक्त क्रेता को मौके पर कोई कब्जा नही संभलाया गया है।

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 4 राजनैतिक पहुंचवाला, धनबल वाला व्यक्ति है, ने वादी के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है। बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के 1/8 भाग की भूमि जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है जबरन बेदखल करना चाहते है।
दिनांक 30.03.2004 को वादी अपनी भूमि के देखरेख कर रहा था प्रतिवादीगण एकराय होकर मौके पर आये और वादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने व स्वयं कब्जा करने उक्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचकर कब्जा संभलाने की धमकी दी। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।
अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 661, 666, 667, 668, 681, 682, 683 कुल किता 07 रकबा 1.27 है0 वाकै ग्राम भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का विधि अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे।
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आये दिनांक 21.01.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 01.05.2018 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। दिनांक 11.03.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात प्राप्त हुये बटवारा रिर्पोट पर वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा वकील प्रविादीगण को आपत्ति पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। वकील प्रतिवादीगण ने बंटवारा कुर्रेजात पर कोई आपत्ति पेश नही की गई। बंटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष ने अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है।

अतः बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 661, 666, 667, 668, 681, 682, 683 कुल किता 07 रकबा 1.27 है0 वाकै ग्राम भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उर्मिला पत्नी नारायण हिस्सा 1/10, विष्णु, अमित, किशन, प्रदीप, महेश, पवन, पि0 नारायण लाल हिस्सा 6/10 कविता, मीना, शारदा पुत्रीयां नारायण लाल हिस्सा 3/10 जाति ब्राहमण के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 0.2392, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 0.0099, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.0550 है0 भूमि कुल किता 3 रकबा 0.3041 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।

जगदीश, नारायण, पि0 हरसहाय हिस्सा 2/3, जयपुरी पत्नी हरसहाय 1/3 हिस्सा के आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.0300, खसरा नम्बर 682/3 रकबा 0.0378, 683 रकबा 0.0843 कुल किता 3 रकबा 0.1521 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
दामोदर, हनुमान पि0 बीजाराम स.भा. के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 0.3509, 668/1 रकबा 0.0545 कुल किता 2 रकबा 0.4054 है0 भूमि हिस्से में रहेगीं।
सरबती पत्नी रामस्वरूप रहिन एस बी आई शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.2692, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.0855 कुल किता 2 रकबा 0.3547 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
उर्मिला पत्नी नारायणलाल हिस्सा 1/40, विष्णु, अमित, किशन, प्रदीप, महेश, पवन पि0 नारायण लाल हिस्सा 6/40, कविता, मीना, शारदा पुत्री नारायणलाल हिस्सा 3/40, जगदीश, नारायण पि0 हरसहाय हिस्सा 1/12, दामोदर , हनुमान सहाय पि0 बीजाराम हिस्सा 1/3 बिला रहन, सरबती पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 7/24 रहिन एस बी आई शाखा शाहपुरा के हिस्से में आरजी खसरा नम्बर 661/1 रकबा 0.0108, खसरा नम्बर 666/1 रकबा 0.0108, खसरा नम्बर 667/1 रकबा 0.0192, खसरा नम्बर 682/2 रकबा 0.0072, खसरा नम्बर 683/1 रकबा 0.0057 कुल किता 5 रकबा 0.0537 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
नोटः–जयकुरी पत्नी हरदान उर्फ हरसहाय की मृत्यु होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम भूमि रहेगी।
तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 25/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

( मनमोहन मीना )
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वाद में डिक्री

प्रपत्र – 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## ायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

ासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

: संख्या :– 247/2013

शीर्षक

नारायण पुत्र लादू (फौत) जाति ब्राहमण निवासी भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

1/1 उर्मिला देवी पत्नी नारायण

1/2 विष्णु पुत्र नारायण

1/3 अंकित पुत्र नारायण

1/4 किशन पुत्र नारायण

1/5 प्रदीप पुत्र नारायण

1/6 महेश पुत्र नारायण

1/7 पवन पुत्र नारायण

1/8 मीना पुत्री नारायण

1/9 कविता पुत्री नारायण

1/10 शारदा पुत्री नारायण

समस्त जाति ब्राहमण निवासी भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

. भगवान सहाय
. दामोदर प्रसाद
. हनुमान सहाय
} पि0 बीजाराम जाति ब्राहमण निवासी भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

. राजेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी–नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

. जगदीश पुत्र हरदान उर्फ हरसहाय प्रोफेसर जे. एच. व्यास 27 राजेश्वर एस.बी.आई कॉलोनी सहकार नगर आकोला महाराष्ट्र।

समस्त जाति ब्राहमण, निवासी बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

. नारायण पुत्र हरदान उर्फ हरसहाय प्रोफेसर एन.एच व्यास प्रोफेसर कॉलोनी देवी छाया रणपीसी नगर आकोला महाराष्ट्र।

. श्रीमति सरबती पत्नी रामस्वरूप जाति स्वामी निवासी स्वामीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

. उपपंजीयक, उप तहसील अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 25/8/22

अतः बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 661, 666, 667, 668, 681, 682, 683 कुल किता 07 रकबा 1.27 है0 वाकै ग्राम भानीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उर्मिला पत्नी नारायण हिस्सा 1/10, विष्णु, अमित, किशन, प्रदीप, महेश, पवन, पि0 नारायण लाल हिस्सा 6/10 कविता, मीना, शारदा पुत्रीयां नारायण लाल हिस्सा 3/10 जाति ब्राहमण के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 0.2392, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 0.0099, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.0550 है0 भूमि कुल किता 3 रकबा 0.3041 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी।

जगदीश, नारायण, पि0 हरसहाय हिस्सा 2/3, जयपुरी पत्नी हरसहाय 1/3 हिस्सा के आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.0300, खसरा नम्बर 682/3 रकबा 0.0378, 683 रकबा 0.0843 कुल किता 3 रकबा 0.1521 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

दामोदर, हनुमान पि0 बीजाराम स.भा. के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 0.3509, 668/1 रकबा 0.0545 कुल किता 2 रकबा 0.4054 है0 भूमि हिस्से में रहेगीं।

सरबती पत्नी रामस्वरूप रहिन एस बी आई शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 661 रकबा 0.2692, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.0855 कुल किता 2 रकबा 0.3547 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
उर्मिला पत्नी नारायणलाल हिस्सा 1/40, विष्णु, अमित, किशन, प्रदीप, महेश, पवन पि0 नारायण लाल हिस्सा 6/40, कविता, मीना, शारदा पुत्री नारायणलाल हिस्सा 3/40, जगदीश, नारायण पि0 हरसहाय हिस्सा 1/12, दामोदर , हनुमान सहाय पि0 बीजाराम हिस्सा 1/3 बिला रहन, सरबती पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 7/24 रहिन एस बी आई शाखा शाहपुरा के हिस्से में आरजी खसरा नम्बर 661/1 रकबा 0.0108, खसरा नम्बर 666/1 रकबा 0.0108, खसरा नम्बर 667/1 रकबा 0.0192, खसरा नम्बर 682/2 रकबा 0.0072, खसरा नम्बर 683/1 रकबा 0.0057 कुल किता 5 रकबा 0.0537 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
:—जयकुरी पत्नी हरदान उर्फ हरसहाय की मृत्यु होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम भूमि रहेगी।

ीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार स्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को यी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं लन्दाजी पैदा नहीं करें ।
निर्णय आज दिनांक 25/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । वली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

( मनमोहन )
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

: के खर्चे

| | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| द पत्र के लिए स्टाम्प<br>क्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>र्शो के लिए स्टाम्प<br>...... रूपये पर प्लीडर की फीस<br>क्षियों के लिए निर्वाह – व्यय<br>मिश्नर की फीस<br>देशिका की तामिल | / | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | / |
| | | जोड़ | |

Scanned with OKEN Scanner